न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :— 140/2019

1. गोपेश आयु 23 वर्ष आ0 रामचरण जाति धाकड निवासी कंवरपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
2. अजय आयु 20 वर्ष आ0 रामचरण जाति धाकड निवासी कंवरपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.

—वादीगण

बनाम

1. रामचरण आ0 रामदयाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार केशवरायपाटन।

—प्रतिवादीगण

वाद :—अधिकार घोषणा व बंटवाराभूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर, एडवोकेट।

—: निर्णय :—

दिनांक — 09.10.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 17.09.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 ग्राम कंपरपुरा के खाता सं. 28 की ख.सं. 454/1 रकबा 1.01 है0, ख.सं. 474/2 रकबा 0.13 है0, ख.सं. 539 रकबा 1.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.20 है0 जो अकेले प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगणो के पिता है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगणों की पैतृक कृषि भूमि है, जो वर्षो से चली आ रही है। जिसमें वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त आराजी में बराबर—बराबर हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि का मौके पर बंटवारा कर रखा है। जिसके मुताबिक ही वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 अलग—अलग कब्जा काश्त है। जबकि वादीगणों का उक्त भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजी को हस्तान्तरण, रहन, बय करने पर आमादा है, क्योकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज होने से कभी भी हस्तान्तरण, बय कर सकता है। अन्त में प्रार्थना की गई कि उक्त वर्णित आराजी में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का 1/3—1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी सहमति का दिनांक 07.10.2019 को राजीनामा पेश किया।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 07.10.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 28 की ख.सं. 454/1 रकबा 1.01 है0, ख.सं. 474/2 रकबा 0.13 है0, ख.सं. 539 रकबा 1.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.20 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3—1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

9/10/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्डअधिकारी
के0पाटन

Scanned by CamScanner

<u>डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई</u>

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास – दुर्गाशंकर मीना

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन आर.ए.एस.

गोपेश V/S रामचरण वगै0

<u>वाद– अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि</u>

<u>मुकदमा नम्बर :: 140/2019</u>

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव व चन्द्रप्रकाश नागर अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री लक्ष्मीशंकर गोचर, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 09.10.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

" वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 28 की ख.सं. 454/1 रकबा 1.01 है0, ख.सं. 474/2 रकबा 0.13 है0, ख.सं. 539 रकबा 1.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.20 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। "

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग..............

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.10.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)

उपखण्ड अधिकारी

केशवराय पाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Shankar Mina

Date: 2019.11.19 11:33:43 IST

Reason: SelfAttested

Location: